संख्या–1206/79–6–2012

प्रेषक,

सुनील कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 08 नवम्बर,2012

विषयः– प्रदेश के कतिपय जनपदों यथा– लखनऊ, कानपुर नगर, कन्नौज एवं आगरा में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु स्वैच्छिक संस्था से अनुबन्ध किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28–9–2012 के क्रम में अपने पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/3319/2012–13 दिनांक 11–10–2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था के साथ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध हेतु अनुबन्ध पत्र के प्रारूप–1 व 2 उपलब्ध कराये गये थे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28–9–2012 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना को जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, कन्नौज एवं आगरा में संचालित कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत अनुबन्ध किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया हैः–

(1) स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि बेसिक शिक्षा/किसी अन्य विभाग की होने पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्था के नामित प्राधिकारी के मध्य और यदि भूमि नगर निगम की है तो संबंधित नगर आयुक्त एवं स्वयं सेवी संस्था के नामित प्राधिकारी के मध्य अनुबन्ध (एम0ओ0यू0–1) निष्पादित किया जायेगा।

(2) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के जनपद में नोडल अधिकारी होने के दृष्टिगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा जनपद में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्था के नामित प्राधिकारी के मध्य अनुबन्ध (एम0ओ0यू0–2) निष्पादित किया जायेगा।

(3) अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के निष्पादन हेतु अन्य शर्तें न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित एम0ओ0यू0 के प्रारूप–1 एवं 2 में विहित हैं ।

(4) स्वयं सेवी संस्था के साथ अनुबन्ध करते समय स्वयं सेवी संस्था के संगम ज्ञापन , नियमावली एवं विधिक प्रास्थिति तथा अन्य सुसंगत समस्त अभिलेखों आदि की उपलब्धता एवं उनकी पुष्टि/ जांच भी करके नियमों के आलोक में अनुबन्ध किया जाय।

(5) शासनादेश दिनांक 24–4–2010 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसों, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों की संख्या एवं उसमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या का उल्लेख भी स्वयं सेवी संस्था से अनुबन्ध करते समय कर दिया जाय।

(6) स्वयं सेवी संस्था के साथ अनुबन्ध करते समय प्रश्नगत योजना पर व्यय होने वाली धनराशि, देयक का बीजक प्रस्तुत किये जाने एवं भुगतान के माध्यम का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय।

(7) स्वयं सेवी संस्था के साथ अनुबन्ध करते समय मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन के मीनू एवं समय–समय पर निर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स एवं दिशा निर्देशों का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय।

3– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/माध्यमिक शिक्षा/खाद्य एवं रसद/आवास/ नगर विकास/राजस्व विभाग,उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर/आगरा/कन्नौज।
3– शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) उ0प्र0, लखनऊ।
4– नगर आयुक्त (संबंधित जनपद)
5– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर/आगरा/कन्नौज।
6– महाप्रबन्धक, अक्षय पात्र फाउण्डेशन, एच0के0 हिल, चार्ड रोड, बंगलौर–560010

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

एम-ओ०यू-1

मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0)

यह मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग आज दिनांक ....2012 को श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा .... (जिनको एतद्पश्चात अनुज्ञापक कहा गया है) प्रथम पक्ष

एवं

अक्षय पात्र फाउन्डेशन जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत एक न्यास है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच0के0 हिल्स चार्ड रोड, राजाजी नगर, बंगलौर है, द्वारा .... श्री...(जिसे एतद्पश्चात स्वयं सेवी संस्था कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

अतः दोनों पक्ष निम्न से सहमत है:–

(1) यह विलेख साक्षी है कि आगे आरक्षित किराये के प्रति फलस्वरूप और स्वयंसेवी संस्था द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर अनुज्ञापक एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं तथा उस पर स्थित निर्माण व वृक्षों सहित जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे "उक्त भूमि" कहा गया है) स्वयंसेवी संस्था को सन् 20.... के ....माह के ....वे दिन से 10 वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित शर्तों पर हस्तान्तरित किया जाता है :–

(2) यह कि शासनादेश संख्या–1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 द्वारा स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के लिये.................... एकड़ भूमि रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) प्रति एकड़ की दर से वार्षिक किराया पर 10 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी गयी है, जिसका नवीनीकरण पाँच–पाँच वर्षों के लिए कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञापक द्वारा किया जा सकेगा। इस अनुज्ञप्ति के अधीन दी गयी उक्त भूमि का विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है।

(3) यह कि स्वयंसेवी संस्था को उक्त भूमि लाइसेन्स पर उपलब्ध करायी गयी है। भूमि का स्वामित्व पूर्ववत अनुज्ञापक का ही रहेगा अर्थात स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम संचालन हेतु लाइसेंस अवधि तक भूमि का मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार **(Right to Usage)** होगा, जिसके लिए स्वयंसेवी संस्था ने एकमुश्त रू0 .... अग्रिम रूप में .... के कार्यालय में वार्षिक किराये के तौर पर लाइसेंस की 10 वर्ष की अवधि हेतु जमा कर दिया है।

(4) इस एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने या एम0ओ0यू0 की शर्तों की उल्लघंन की दशा में स्वयंसेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि अनुज्ञापक को मूल रूप से वापस करनी होगी। एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने पर उक्त भूमि पर हुए निर्माण आदि कार्य को स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्वयं के खर्चे से हटाया जायेगा।

(5) स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन हेतु अनुज्ञापक द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के परिसर के अन्दर स्वयंसेवी संस्था को कोई धार्मिक व जाति आधारित क्रिया–कलापों की अनुमति नहीं होगी।

(6) स्वयंसेवी संस्था का अनुज्ञप्ति के आधार पर ... भूमि पर ... इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने के उपरान्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि व उस पर निर्मित भवन आदि को किसी को भी स्थायी/अस्थायी रूप से न तो हस्तान्तरित किया जाएगा और न ही किराया पर दिया जाएगा। इस शर्त के उल्लंघन पर 15 दिन का नोटिस देकर इस लाइसेन्स/अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त भूमि पर बने निर्माण आदि को जब्त कर लिया जायेगा और स्वयंसेवी संस्था को कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा।

(7) स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल केन्द्रीय किचेन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पके–पकाये भोजन का निर्माण व वितरित कराने का कार्य किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को भूमि जिस उद्देश्य के लिए उपलब्ध करायी गयी है, उसी उद्देश्य के लिए स्वयंसेवी संस्था द्वारा भूमि व भवन का उपयोग किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचेन/भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वयंसेवी संस्था को उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन का निर्माण .... विकास प्राधिकरण से मानचित्र/नक्शा पर अनुमोदन प्राप्त कर कराया जायेगा।

(9) स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन का निर्माण संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेन्स, अनुमति प्राप्त कर कराया जायेगा।

(10) स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन पर देय सरकारी/अर्द्धसरकारी/नगर शुल्क व कर या अन्य व्यय स्वयं वहन किया जायेगा।

(11) उक्त भूमि की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के संबंध में अनुज्ञापक द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, वह अन्तिम होगा तथा स्वयंसेवी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

(12) उक्त भूमि इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार देय राशि या स्वयंसेवी संस्था द्वारा की गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की वसूली जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर अनुज्ञापक द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भाँति स्वयंसेवी संस्था से की जायेगी।

(13) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत चिन्हित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु ....एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य निर्धारित अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जाएगा, जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(14) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना को बंद करने अथवा स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन योजना के कार्य से विरत होने की स्थिति में स्वयंसेवी संस्था को उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन के निर्माण आदि पर हुए व्यय के संबंध में अनुज्ञापक से किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(15) स्वयंसेवी संस्था द्वारा केन्द्रीय किचेन से निकलने वाले कूड़ा/निष्प्रयोज्य सामग्री आदि को नियत स्थान पर स्वयं के व्यय/संसाधन से निस्तारित किया जाएगा।

(16) अनुज्ञापक द्वारा इस लाइसेन्स विलेख की शर्तों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, जो स्वयंसेवी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

(17) इस अनुज्ञप्ति विलेख (एम0ओ0यू0) की शर्तों के अधीन अथवा उससे सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। दोनों पक्षों को सुनने के

पश्चात प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(18) अनुज्ञापक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना लाइसेन्स पर दी गयी भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को स्वयंसेवी संस्था द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।

(19) इस अनुज्ञप्ति विलेख के दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि उक्त भूमि पर इस विलेख में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्थायी निर्माण करने के बावजूद स्वयंसेवी संस्था को परमानेन्ट ग्रान्टी नहीं माना जाएगा।

और इस विलेख के दोनों पक्षकार करार करते हैं कि :–

(क)–उक्त भूमि को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु अनुज्ञप्ति विलेख (एम0ओ0यू0) के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(ख)–इस विलेख की शर्तों पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

(ग)–किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र..... होगा।

अनुसूची
(भूमि तथा वृक्षों आदि का विवरण एवं चौहद्दी)

इस लाइसेन्स विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री.....(नाम, पदनाम व विभाग का नाम) तथा स्वयंसेवी संस्था की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री.....(नाम, पदनाम व संस्था का नाम) ने ऊपर अंकित तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षरित किया है।

(.....)
मोहर
श्री राज्यपाल की ओर से एवं उनके द्वारा
से एवं
प्राधिकृत अधिकारी

साक्षीगण
(1).....
(2).....
(नाम व पता)

(.....)
मोहर
स्वयंसेवी संस्था की ओर

उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

साक्षीगण
(1).....
(2).....
(नाम व पता)

मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0)

यह मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग आज दिनांक .....2012 को श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी.....(जिनको एतद्पश्चात् "नोडल अधिकारी' कहा गया है) प्रथम पक्ष

एवं

अक्षय पात्र फाउन्डेशन, जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत एक न्यास है और जिसका पंजीकृत कार्यालय, एच0के0 हिल्स, चार्ड रोड़, राजाजी नगर, बंगलौर है, द्वारा.....श्री .....(जिसे एतद्पश्चात् स्वयंसेवी संस्था कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि स्वयंसेवी संस्था के अनुरोध पर राज्य सरकार के शासनादेश सं0–1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 द्वारा जनपद..... में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रसंविदाओं के अधीन सहमत हुए हैं :–

(1) स्वयंसेवी संस्था द्वारा जनपद..... के शहरी एवं शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के आयु.....से .....तक कक्षा.....से .....तक के स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से शहरी एवं शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से आच्छादित ऐसे विद्यालयों/छात्रों का विवरण शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा, जिन्हें स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रतिदिन पौष्टिक गरम, पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) मध्यान्ह भोजन योजना हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा जनपद..... में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोला जायेगा।

(4) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था द्वारा खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाते समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयंसेवी संस्था का भी प्रतिनिधि होगा।

(5) स्वयंसेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से यदि स्कूलों बच्चों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्ट्स का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मध्यान्ह भोजन कार्यकम के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन्स वर्ष 2006 के प्रस्तर– 3.9.1 एवं उसके उप प्रस्तरों में विहित दिशा निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स/निर्देशों का अनुपालन भी स्वयं सेवी संस्था को करना होगा ।

(6) [illegible] प्राप्त अनुदान [illegible] आय व्यय [illegible] चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से प्रमाणित कर राज्य [illegible] सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अथवा समाज सेवा के उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत तैयार भोजन को अन्य आपदाग्रस्त व्यक्तियों को वितरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अपने स्रोतों एवं संसाधन से स्वयंसेवी संस्था अन्य जरूरतमंद लोगों यथा विधवा, गरीब/असहाय व्यक्तियों को भोजन कराने हेतु स्वतंत्र होगी।

(8) स्वयंसेवी संस्था द्वारा तैयार किए गये/उपलब्ध कराये गये भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर स्वयंसेवी संस्था के साथ किया गया अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त करते हुये सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड की धनराशि जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा वसूली जायेगी। योजना के क्रियान्वयन में यदि स्वयंसेवी संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है अथवा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो 15 दिन की लिखित नोटिस देकर स्वयंसेवी संस्था से किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) स्वयंसेवी संस्था को यदि इस अनुबन्ध के अधीन दण्डित किया जाता है, तो उस दण्ड के विरूद्ध स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रत्यावेदन/अपील, प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण करके निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्णय अन्तिम होगा।

(10) केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना, तैयार भोजन को विद्यालयों तक पहुँचाने की व्यवस्था आदि पर होने वाले समस्त खर्च का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा अपने संसाधन से किया जायेगा।

(11) स्वयंसेवी संस्था द्वारा भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोइयां/हेल्पर के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा रसोइयाँ/हेल्पर को राज्य सरकार के शासनादेश संख्या–435/79–6–10 दिनांक 24–04–2010 द्वारा निर्धारित मानदेय रू0 1000/– (रुपया एक हजार मात्र) का भुगतान प्रत्येक माह की....................तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

(12) विद्यालयों में पूर्व से संचालित भोजनालय का उपयोग स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन को एकत्रित कर बच्चों को वितरित किये जाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भोजन पकाने के प्रयोजन से किया जा सकेगा। सुदूर क्षेत्रों हेतु उप किचेन की भी व्यवस्था की जा सकेगी।

(13) मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय धनराशि रू0............. ही स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

और इस विलेख के दोनों पक्षकार करार करते हैं कि :–

(क)–इस एम0ओ0यू0 विलेख के निष्पादन पर होने वाले व्यय का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(ख)–इस विलेख की शर्तों पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

(ग)--किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र............................होगा।

इस विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री..(नाम, पदनाम व विभाग का नाम) एवं स्वयंसेवी संस्था की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत श्री..(नाम, पदनाम व संस्था का नाम) ने ऊपर अंकित तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षरित किया है।

(..)
मोहर
श्री राज्यपाल की ओर से एवं उनके द्वारा
....
प्राधिकृत अधिकारी
उनके द्वारा

साक्षीगण
(1).......................
(2).......................
(नाम व पता)

(..)
मोहर
स्वयंसेवी संस्था का नाम...
की ओर से एवं
प्राधिकृत अधिकारी

साक्षीगण
(1).......................
(2).......................
(नाम व पता)